विचार बिन्दु

''जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।'' - अरविन्द कटोच

एसआईआर की प्रक्रिया में जारी की जाने वाली मतदाता सूची वास्तव में नागरिक मतदाता सूची है और यह विषय चुनाव आयोग की Autonomy (स्वत्व अधिकार) का है

चुनाव टिपूर्ण मतदाता सूचियों को लेकर, अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण (1/4SIR1/2) को लेकर, अथवा मतदाता सूचियों से मतदाता का नाम काटने और जोड़ने को लेकर आदि से संबंधित कई आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग पर उनके कर्मचारियों पर पक्षपात करने अथवा तटस्थतहीनता, अवैध आचरण के आरोप लगाये जाकर यहाँ तक कि इन कृत्यों को वोट चोरी के नाम की संज्ञा दी जा रही है। आरोपों का यह सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है कि एनडीए के कई नेताओं ने विपक्ष के नेता पर देश में अशान्ति फैलाने का कृत्य कहा है और यहाँ तक कहा है कि वे देश के युवाओं को व जनरेशन जैड को देश के विरूद्ध भटका रहे हैं। नेताओं का कहना है कि विपक्ष के नेता ने एक्स पर लिखा है ''देश के युवा देश के छात्र जेन जैड संविधान को बचायेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे''।

मतदाता सूचियों की अवैधता के उक्त आरोप विपक्ष देश की संसद, देश की सड़कों पर और चुनाव आयोग के कार्यालय में उठा चुके हैं और कई जनहित याचिकायें न्यायालय में पेश की जा रही हैं, कुछ पर सुनवाई की जा रही है। यद्यपि कोर्ट की कार्यवाही को रोके जाने से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश देश कोर्ट ने देने से मना कर दिया है, किन्तु कुछ अन्तरिम आदेश दिये भी हैं। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अन्य 11 डॉक्यूमेन्ट्स के साथ नाम जोड़ने में आधार कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही यह भी यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

केसेज में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के अध्ययन ने तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, 326, 329 व अन्य प्रावधानों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष दो मूल प्रश्न हैं, प्रथम है क्या एसआईआर पर निर्णय लेना आयोग का विवेकाधिकार है? द्वितीय पक्ष है क्या यह मामला तय करने का अधिकारा अनुच्छेद 32 के तहत् पीआईएल में दिया जा सकता है? प्रथम प्रश्न के साथ यह मुद्दा भी विचारणीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल नागरिक का ही अधिकार है तो फिर अवैध प्रवासियों को जो बांग्लादेश, म्यांमार से आये हुये अवैध माइग्रेन्ट्स हैं, उन्हें एसआईआर की कार्यवाही में कैसे मतदान करने का अधिकार दिया जा सकता है? जबकि नागरिकता तय करने का मापदण्ड अनुच्छेद 6 से 11 में दिया हैं।

कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है इसे तय करने का अधिकार भारत के गृह मंत्रालय का है। अवैध प्रवासियों में से, जिनके बाबत एसआईआर की कार्यवाही में अवैध प्रवासी हाने की आपत्ति उठाई है, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष नागरिकता प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार नागरिकता का प्रश्न भी संवैधानिक प्रश्न है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जाँच की जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसम्बर, 2024 के मध्य हुआ है। उनसे उनके माता-पिता के जन्म स्थान के दस्तावेज लिये जावें।

अनुच्छेद 324 में संविधान ने सांसदों व विधायकों की चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का संचालन, अधीक्षण व निर्देशन व नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है और अनुच्छेद 326 में स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में खड़े होने का अधिकार केवल नागरिक को ही है। इसके अतिरिक्त इसी बात को अनुच्छेद 191 में स्पष्ट कर दिया है जबकि मतदाता नागरिक ही नहीं है तो वह विधान सभा का सदस्य होने के लिये और सदस्य चुने जाने के लिये Disqualified (निरर्हित) होगा।

अनुच्छेद 326 एक ओर जहाँ नागरिकों को वयस्क मताधिकार देता है, वहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि मतदाता सूची साधारण सूची नहीं है अपितु नागरिक मताधिकार सूची है। अनुच्छेद 327 में यह व्यवस्था है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संसद, राज्य की विधानसभा के लिये चुनाव से सम्बन्धित निर्वाचनों के सभी विषय अर्थात् निर्वाचक नामावली तैयार कराना आदि सभी विषयों पर कानून बना सकेगी। अनुच्छेद 324 सपठित अनुच्छेद 327 इस प्रकार एसआईआर में मतदाता सूची तैयार कराने का निर्णय लेना, चुनाव आयोग की । Autonomy (स्वत्व अधिकार) है और विवेकाधिकार है। अत: संविधान ने अनुच्छेद 329 में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित किया है।

कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है इसे तय करने का अधिकार भारत के गृह मंत्रालय का है। अवैध प्रवासियों में से, जिनके बाबत एसआईआर की कार्यवाही में अवैध प्रवासी हाने की आपत्ति उठाई है, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष नागरिकता प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार नागरिकता का प्रश्न भी संवैधानिक प्रश्न है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जाँच की जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसम्बर, 2024 के मध्य हुआ है।

वर्तमान में जितनी भी रिट् याचिकायें एसआईआर के सम्बन्ध में दायर की गई हैं वे सभी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् की गई हैं। न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों व उनकी स्वतंत्रतों के संरक्षक हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों पर यदि आक्रमण होता है, तो व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय में कुछ विपरीत परिस्थितियों में जा सकता है।

इस बाबत उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का निर्णय जो गवर्नमेन्ट ऑफ आन्ध्रप्रदेश बनाम श्रीमती पी लक्ष्मी बाई एआईआर 2010 एससी 1476 में प्रकाशित हुआ उसे देखा जा सकता है। एसआईआर की उक्त याचिकायें पीआईएल (लोकहित वाद) की हैं। लोकहित याचिकायें मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से दायर की जाती हैं। अत: उच्चतम न्यायालय का यह स्पष्ट निर्णय है कि इसका उपयोग मानव अधिकारों के संरक्षण के हेतु ही होना चाहिये न कि अन्य मामलों में। चुनाव सम्बन्धित विषय राजनैतिक है, अत: चुनाव सम्बन्धित विषय के मुकदमों पर अनुच्छेद 32 की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार किया है और यही कारण है कि अनुच्छेद 329 में इस विषय के मुकदमों की सुनवाई केवल चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। अनुच्छेद 329 में न्यायालय के हस्तक्षेप के अधिकार को वर्जित किया है सन् 1954 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज भी मान्य है।

पीआईएल याचिकाओं में पिटीशनर स्वंय का अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्ति का, जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ है, उसका उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने अपने निर्णय कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एआईआर 2008 एससी 2116 में यह निर्देश दिया है कि न्याय सक्रियता का अर्थ यह नहीं है कि न्यायपालिका, विधायिका एक कार्यपालिका का कार्य करे। प्रवासी भलाई संगठन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एआईआर 2014 एससी 1591 में इस बात को स्पष्ट करते हुये कहा है कि न्याय सक्रिया का प्रयोग वहाँ होना चाहिये जहाँ पूर्णत: ऑल्टरनेटिव विधिक शून्यता हो। यहाँ तो अनुच्छेद 329 में चुनाव याचिका में ही मतदाता सूची के विवाद को सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। चुनाव याचिकायें हाईकोर्ट में प्रेषित की जा सकती हैं।

इस प्रकार रिट् याचिकाओं के बाबत प्रत्यक्ष: उपरोक्त आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। मतदान का अधिकार मूल अधिकार नहीं है अपितु संवैधानिक अधिकार है। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक एसआईआर की फाइनल लिस्ट तैयार हो जावेंगी और 5 अक्टूबर, 2025 को बिहार में चुनाव होने की सूचना जारी होगी तथा 5 से 15 नवम्बर, 2025 के मध्य ये चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में जब चुनाव की सूचना जारी की जा चुकी है तो क्या उक्त पीआईएल स्वत: ही प्राण शून्य हो जावेंगी, क्योंकि उनकी बहस की तारीख ही सम्भवत: 7 अक्टूबर, 2025 है। इस बाबत सुभाष सैनी विरूद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सन् 2015 में यह प्रश्न निर्णित हुआ है।

इस प्रकार हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि मतदाता सूची वस्तुत: नागरिक मतदाता सूची है अर्थात् मत देने का अधिकार केवल देश के नागरिक को ही प्राप्त है, यदि वह व्यक्ति नागरिक नहीं है और चुनाव में जीत दर्ज करा देता है तो उसका चुनाव अवैध होगा तथा इसका निर्णय केवल चुनाव याचिका में ही उठाया जा सकता है जिसे सुनने का अधिकार केवल राज्य के हाईकोर्ट को है। चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति यदि विधान सभा का सदस्य बन जाता है तो उसकी अयोग्यता का प्रश्न को निर्णय करने का अधिकार केवल राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। जिसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार होगा। यदि अयोग्य विधायक विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेता है अथवा मत देता है तो उस पर अपराध साबित होने पर प्रतिदिन भाग लेने पर 500/-रूपये जुर्माना किया जा सकता है।

अत: हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मतदाता सूची केवल नागरिकों की मतदाता सूची इसमें अवैध प्रवासी चाहे वे बांग्लादेश से आये हों अथवा म्यांमार से उन्हें मतदाता में नहीं जोड़ा जा सकता। देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

प्रवासी भारतीयों की पहचान, संघर्ष और उनका असमंजस

प्रवासी दृष्टि : समाज, संस्कृति और सोच

डॉ. पंकज राजवंशी

यह सारा एच1बी वीज़ा वाला मामला जब हाल ही में मीडिया में छाया, तो मुझे न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आख़िर भारतीय अप्रवासियों को लेकर यह असहजता क्यों बढ़ रही है। अमेरिका जैसे देश में, जहाँ आव्रजन का इतिहास गहरा और समृद्ध है, भारतीयों को लेकर यह नया असंतोष आखिर क्यों दिखाई दे रहा है।

मैंने खुद तीस साल पहले अमेरिका में कदम रखा था, वह भी पहली पीढ़ी के प्रवासी के तौर पर। तब की चुनौतियाँ बिल्कुल अलग थीं, संख्या बेहद कम थी और हमें धीरे-धीरे, सम्मानपूर्वक अपना स्थान बनाना था। हमारे जैसे प्रवासी इक्का-दुक्का ही थे और हमारी उपस्थिति खुद एक बयान लगती थी। हम इस नए देश के रंग में ढलना चाहते थे क्योंकि हमें साफ़ था कि अगर यहाँ सम्मान पाना है, तो पहले इस समाज को समझना और फिर उसका हिस्सा बनना होगा। हमारे लिए समायोजन, यानी, कोई वैचारिक मुद्दा नहीं था बल्कि जीविका और सामाजिक स्वीकृति की बुनियादी शर्त थी। हमने बोलचाल में संयम रखा, शालीनता बरती और हर सार्वजनिक व्यवहार में सजगता अपनाई। हमारे त्योहार हों या भाषा, हम यह नहीं चाहते थे कि कोई हमें अलग समझे या हमसे असहज महसूस करे। यह कोई आत्म-समर्पण नहीं था, बल्कि एक आत्म-निर्माण की प्रक्रिया थी जिसे हर प्रवासी को अपने ढंग से अपनाना पड़ता है। उसी ज़मीन पर खड़े होकर जब मैं आज के हालात देखता हूँ, तो मन में एक अजीब सा द्वंद्व उठता है। यही बात मैंने हाल ही में अपनी बेटी से साझा की, और फिर हमारे बीच एक लंबी, जटिल लेकिन ज़रूरी बातचीत हुई।

आज जब मैं हाल के वर्षों में आए भारतीय प्रवासियों को देखता हूँ, खासकर तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को, तो एक बिल्कुल अलग ही रवैया नज़र आता है। बड़े-बड़े समूहों में आकर ये लोग अपने-अपने कस्बों और ज़िलों को जैसे अमेरिका में दोबारा बसाने लगे हैं। सिएटल, डलास, ह्यूस्टन जैसे शहर अब मिनी इंडिया में बदलते जा रहे हैं। वहाँ भारतीय भोजन, भाषा, रीति-रिवाज़, परिधान और संगीत सब कुछ बड़े ज़ोर-शोर से मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे अब किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं रही। न बोलचाल में कोई सोच-विचार है, न सार्वजनिक व्यवहार में कोई मर्यादा। सार्वजनिक जगहों पर ऊँची आवाज़ में बात करना, बिना अनुमति सामूहिक कार्यक्रम करना, या यह मान लेना कि जिस जगह पर वे हैं वहाँ सब उनके जैसे ही सोचते हैं, यह सब अब सामान्य बात होती जा रही है।

जब मैंने अपनी बेटी से यह सब साझा किया तो उसने कहा, पापा, ये उनका हक़ है। कोई समाज तय नहीं कर सकता कि प्रवासी कैसे बर्ताव करें। यह सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा, लेकिन भीतर एक सवाल घूमता रहा। क्या यह सच में केवल उनका अधिकार है कि वे जहाँ जाएँ, वहाँ अपनी संस्कृति को इस तरह फैला दें कि स्थानीय समाज उसमें खुद को अजनबी महसूस करने लगे? दिलचस्प यह है कि मेरी बेटी भी अब अपने भारतीयपन से जुड़ गई है, लेकिन एक संतुलित तरीके से। वह दिवाली मनाती है, लेकिन शांति से। भारतीय परिधान पहनती है, पर उसका प्रदर्शन नहीं करती। उसकी भारतीय पहचान अब उसके भीतर है, गर्व के साथ लेकिन बिना किसी शोर शराबे के। और यही तो फर्क है। उसकी पीढ़ी, जो यहीं पैदा हुई, अब अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती है लेकिन उसमें दूसरों के लिए सम्मान और एक सजग संतुलन है।

दूसरी ओर, जो लोग भारत से हाल ही में आए हैं, वे सामूहिकता और संख्या के बल पर उस विनम्रता को कहीं पीछे छोड़ आए हैं जो किसी भी प्रवासी समुदाय की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह फर्क केवल व्यवहार का नहीं है, यह मानसिकता का भी है। और शायद इसके पीछे का मनोविज्ञान समझने से हम इस पूरी स्थिति को बेहतर समझ पाएँ। 1970 से 1990 के दशक में जो भारतीय अमेरिका आए, वे छोटे-छोटे समूहों में थे।

उनके पास न तो कोई सामाजिक ढांचा था, न तकनीकी सहारे। उन्हें मुख्यधारा में घुलने-मिलने के लिए प्रयास करने पड़ते थे। दूसरी ओर, 2000 के बाद आए प्रवासी ज़्यादातर बड़े समूहों में आए, खासकर तकनीकी क्षेत्र से। उनके पास मंदिर थे, भारतीय ठॉसरी स्टोर थे, भाषा-समूह थे, और एक संगठित डिजिटल नेटवर्क था जिसमें व्हाट्सऐप जैसे माध्यम भी शामिल थे। जब आपके चारों ओर इतनी मजबूत सांस्कृतिक बुनियाद हो, तो बाहर की दुनिया से जुड़ने की ज़रूरत कम लगती है। लेकिन इसके साथ ही यह एक ऐसी दीवार भी बन जाती है जो स्थानीय समाज से दूरी पैदा करती है।

पहली पीढ़ी के अप्रवासी आत्म-अस्वीकृति और सामाजिक स्वीकृति के बीच झूलते रहे। वहीं नई पीढ़ी सांस्कृतिक गर्व के साथ जीना चाहती है। टकराव तब होता है जब यह गर्व, दूसरों के लिए दबाव बन जाता है। जब प्रवासी समुदाय छोटे होते हैं, तो उनकी सांस्कृतिक उपस्थिति विविधता लगती है। लेकिन जैसे-जैसे संख्या बढ़ती है, वही उपस्थिति प्रभुत्व जैसी महसूस होने लगती है।

एक समय था जब दिवाली पर पटाखे जलाना भी सोच-समझकर होता था। आज तो पूरी कॉलोनियाँ देर रात तक डीजे, ढोल और आतिशबाज़ी के साथ गूंजती हैं, मानो किसी शादी मंडप का सार्वजनिक प्रसारण हो रहा हो। अब ये त्योहार उत्सव नहीं रह गए हैं, वे सांस्कृतिक शक्ति-प्रदर्शन बन गए हैं। सवाल यह नहीं है कि आप अपनी परंपराएँ क्यों जी रहे हैं, सवाल यह है कि आप उन्हें इस तरह क्यों जी रहे हैं कि आसपास के लोग असहज महसूस करने लगें।

इसका दूसरा पहलू यह है कि स्थिति को पलट कर देखो, तो हम तो आपस में ही इतना भेदभाव करते हैं कि दूसरों से सम्मान पाने की बात थोड़ी असहज लगती है। अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी भी अपनी क्षेत्रीय पहचानों में इतने उलझे रहते हैं कि 'भारतीय' पहचान कहीं पीछे छूट जाती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत से आए लोग अक्सर अपने रीति-रिवाज, भाषा और खानपान को लेकर इतने सजग और कभी-कभी आत्ममुग्ध रहते हैं कि दूसरे की सांस्कृतिक शैली को तुच्छ मानने लगते हैं। क्या हम तब भी यह दावा कर सकते हैं कि अमेरिका हमें एकसमान दृष्टि से देखेगा? जब हम अपने ही लोगों के साथ समानता नहीं निभा पाते, तो दूसरों से अपेक्षा रखना एकतरफा नहीं लगता।

सांस्कृतिक असुरक्षा और गर्व के बीच का अंतर बहुत महीन होता है। जब आप एक नई ज़मीन पर आते हैं, तो अपनी परंपराओं से जुड़ाव एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन यह जुड़ाव कब असहिष्णुता में बदल जाए, इसका बोध आवश्यक है। संस्कृति को जीने का अधिकार सबको है, लेकिन उसमें दूसरों की जगह के लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनाया जाए, तो हमें यह भी दिखाना होगा कि हम अपनाने लायक हैं।

यह केवल इस देश के मूल्यों को स्वीकारने की बात नहीं है, बल्कि यह तय करने की बात है कि हम किस तरह के नागरिक बनना चाहते हैं। क्या हम ऐसे बनना चाहते हैं जो अपनी पहचान पर अड़े रहें, या ऐसे जो अपनी पहचान के साथ सौहार्द भी जी सकें?

हम यहाँ पहले मेहमान बनकर आए थे। धीरे-धीरे सदस्य बने। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ लोग खुद को बिना पूछे मेज़बान समझने लगे हैं। यहीं से टकराव शुरू होता है और सामाजिक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। समायोजन का मतलब खुद को मिटाना नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कि हम उस देश की आत्मा को ही बदलने पर आमादा हो जाएँ जिसने हमें जगह दी।

मेरी और मेरी बेटी की सोच में अंतर है। शायद यह पीढ़ियों का फर्क है। लेकिन समाधान इन दोनों सोचों के बीच ही कहीं छिपा है। न अपनी पहचान छोड़नी चाहिए, न दूसरों की उपेक्षा करनी चाहिए। यही संतुलन हमें एक बेहतर प्रवासी और एक बेहतर इंसान बना सकता है। यही वह संयम और समझदारी है जिसकी किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।

डॉ. पंकज राजवंशी, सिएटल (अमरीका) में एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं

हर विद्यालय में सीखने का उत्सव - ''प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान''

राजेश यादव

- 90 दिन का विशेष अभियान, 5 दिसम्बर तक सभी राजकीय विद्यालयों में जारी
- रोचक गतिविधियों द्वारा पठन पाठन को धारा प्रवाह बनाने का अनूठा प्रयास

प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के हर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान 90 दिनों तक चलेगा और 5 दिसम्बर तक राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में संचालित होगा। इसका प्रमुख लक्ष्य कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन-पाठन की क्षमता विकसित करना है। भाषा और गणित की समझ को सरल व रोचक गतिविधियों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है ताकि बच्चों की नींव को पुख्ता बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई में आत्मविश्वास मिल सके।

अभिभावक भी बने सहभागी :-अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों को भी जोड़ा गया है। इसके लिए मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है ताकि अभिभावक बच्चों की प्रगति को स्वयं देख सकें और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनें।

नवाचार की दिशा में बड़ा कदम :-इस अभियान को शिक्षा विभाग ने एक नवाचार के रूप में तैयार किया है। शिक्षकों को प्रशिक्षित कर विद्यार्थियों की कमजोरियों की पहचान की जा रही है और उन्हें व्यक्तिगत सहयोग देकर सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। पिछले वर्ष संचालित प्रखर राजस्थान अभियान के सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इस बार एआई आधारित ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आकलन भी लागू किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि बच्चों का पठन-पाठन मजबूत होगा तो वे आगे की कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

अभियान के विशेष पहलू :-

- रोजाना तय समय पर अतिरिक्त गतिविधियां
- छोटे-छोटे लक्ष्य देकर बच्चों को प्रोत्साहित करना
- प्रगति का नियमित मूल्यांकन
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग

अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयास

- रेमेडियल एवं रीडिंग कालांश में 12 सप्ताह का पठन-लेखन कौशल आधारित सघन शिक्षण कार्य
- बच्चों को कहानियों, कविताओं और स्थानीय साहित्य से जोड़ना
- पुस्तकालय की कहानियों, कार्य पुस्तिकाओं, पाठ्यपुस्तकों और एबीएल किट का अधिक उपयोग
- घर और स्कूल दोनों जगह बच्चों के लिए सकारात्मक पठन माहौल तैयार करना।

राजेश यादव, सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग

''नागौर हस्तशिल्प प्रदर्शनी-2025'' का शुभारम्भ

- प्रदर्शनी में स्थानीय उद्योग, हस्तशिल्प, दस्तकारों औ ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है
- ''एक जिला एक उत्पाद'' योजना के तहत चयनित पान मैथी के उत्पादन, सही लागत और जीआई टैग दिलाने के प्रयासों की जानकारी दी

नागौर, (निसं) जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, नागौर में 25 से 27 सितम्बर तक आयोजित ''नागौर हस्तशिल्प प्रदर्शनी-2025'' का गुरुवार को भव्य शुभारम्भ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन नागौर जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किया।

महाप्रबन्धक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, बजरंग सांगवा ने बताया कि प्रदर्शनी में स्थानीय उद्योग, हस्तशिल्प, दस्तकारों औ ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को बाजार एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने क उद्देश्य से विभाग द्वारा समय-समय पर मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भारत सरकार के जीएसटी बचत उत्सव की जानकारी देते हुए बुनकरों, हस्तशिल्पियों और आगन्तुकों से स्वदेशी एवं स्थानीय उत्पादों को अपनाने का आव्हान किया। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के मसाला बोर्ड के सदस्य, भोजराज सारस्वत ने युवाओं से नौकरी करने के बजाय सफल उद्यमी बनकर रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने ''एक जिला एक उत्पाद'' योजना के तहत चयनित पान मैथी के उत्पादन, सही लागत और जीआई टैग दिलाने के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्थानीय उद्यिमयों एवं हस्तशिल्पियों से समयानुकूल तकनीक अपनाने पर बल दिया। भारत सरकार के जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त भारत सिंह ने हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कमी से आमजन को मिलने वाले लाभों की जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में खींवसर विधायक रेवन्त राम डांगा, जिला प्रमुख नागौर भागीरथ चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि खींवसर जगदीश बिड़ियासर, लघु उद्योग भारती मेड़ता सिटी के रामवतार माहेश्वरी तथा हीरालाल भाटी सहित विभिन्न एसोसिएशनों के पदाधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

राशिफल शुक्रवार 26 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार विक्रम सम्वत 2082, विशाखा नक्षत्र रात्रि 10.09 तक, विष्कुम्भ योग रात्रि 10. 50 तक, विष्टि करण प्रात: 9. 33 तक, चन्द्रमा दिम 3. 24 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-तुला, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में संचार करेगा।

आज कुमार योग 9.37 से रात्रि 10. 09 तक है। सवार्थ सिद्धि योग रात्रि 10. 09 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 10. 09 से आरम्भ होगा।

आज भद्रा प्रात: 9. 33 तक रहेगी। आज उपांग ललिता व्रत, ललिता पंचमी है।

श्रेष्ठ चौघडिया - चट-सूर्योदय से 7.50 तक, लाभ-अमृत 7.50से 10.49 तक, शुभ 12.18 से 1.48 तक, चट 4.47 से सूर्यास्त तक

राहुकाल - 10.30 से 12.00 तक सूर्योदय 6.21 सूर्यास्त 6.18

मेष
परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पशचात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

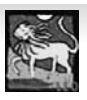

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों-परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

धनु
आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। मित्रों-रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेज समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कन्या
आर्थिक वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सम्पर्क बनेंगे। नौकरी पैशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बडेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामुहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन
आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
आर्थिक-वित्तीय मामलों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक परेशानियां दूर होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड सकते हैं।